23/3/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध ख0नं0 22 रकबा 0.21 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर ग्राम भीचरी गैर मुमकीन रास्ता पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया है ।इस पर अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को विवादित अति--क्रमीती रास्ते की आराजी 0.05 हैक्टर से बेदखल करने का आदेश दिया है ।अपीलान्ट ने यह साबित नहीं किया कि इस आराजी पर उसका कब्जा नहीं है ।अदालत दोनो ने ही अपीलान्ट को विवादित	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये ।अपीलांट ने उक्त दोनो ही न्यायालयो के आदेश को अनुचित बताते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर पटवारी हल्का ने रास्ते का हवाला देकर रिपोर्ट की है। वह गलत है । इस आराजी पर पिछले 100 सालो से भी अधिक समय से कोई रास्ता नहीं है ।मौके पर कोई रास्ता नहीं है केवल रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जो गलत है ।अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने गै0मु0 रास्ते पर अतिकृमण किया है जो पटवारी हल्का ने नपती के बाद रिपोर्ट में बताया है । राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 22 रकबा 0.21 हैक्टर गै0मु0 ००००ता रास्ता दर्ज है । अपीलान्ट ने इस रास्ते की भूमि में से 0.05 हैक्टर पर तारबन्दी कर रास्ता रोका है। जिस पर अदालत मातहत ने बाद जांच कब्जा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया है वह उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । आराजी ख0नं0 22 रकबा 0.21 हैक्टर ग्राम भीचरी गै0मु0 रास्ता है। जिस पर अपीलान्ट ने 0.05 हैक्टर पर अतिक्रमण किया है । अपीलान्ट ने ऐसाकोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी गै0मु0 रास्ता नहीं हो । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमी रकबे से बेदखल करने का आदेश दिया है वह उचित एवं विधिक है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान नायब तहसीलदार फतेहपुर का निर्णय दिनांक4-7-2011 एवं विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 2-8-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर